निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 1/2021 तारीख दायरा 01.01.2021

उनवान

1. गिरिराज पुत्र शंकरलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम लालाहेडा तह0 सांगोद
2. चन्दाबाई पुत्री शंकरलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम लालाहेडा तह0 सांगोद।
3. रिंकूबाई पुत्री शंकरलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम लालाहेडा तह0 सांगोद।
4. हंसाबाई पुत्री शंकरलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम लालाहेडा तह0 सांगोद।
5. रामप्यारीबाई पुत्री शंकरलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम लालाहेडा तह0 सांगोद।
6. नन्दलाल पुत्र नेमीचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम लालाहेडा तह0 सांगोद।
7. मुकेश पुत्र नेमीचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम लालाहेडा तह0 सांगोद।
8. मेन्ता पुत्री नेमीचन्द जाति कुम्हार निवासीग्राम लालाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा।

– वादी

—:: बनाम ::—

1. जोधा पुत्र औंकार जाति कुम्हार निवासीग्राम लालाहेडा तहसील सांगोद।
2. छोटूलाल पुत्र औंकार जाति कुम्हार निवासीग्राम लालाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। –प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :– श्री बहादुर सिंह (वकील वादीगण) दिनांक 26.02.2021

श्री धर्मराज नायक (वकील प्रतिवादीगण)

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीकम 1 व 2 एक संयुक्त परिवार के सदस्य होकर नजदीकी रिश्तेदार है तथा वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 व अन्य सहखातेदारान के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के अनुसार माल ग्राम लालाहेडा

तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 57 के खसरा नं0 221 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 222 की 0.06 हैक्टर, खसरा नं0 223 की 0.18 हैक्टर, खसरा नं0 231 की 0.06 हैक्टर, खसरा नं0 237 की 0.02 हैक्टर, खसरा नं0 372 की 0.40 हैक्टर, खसरा नं0 377 की 1.22 हैक्टर कुल किता 7 की कुल 1.95 हैक्टर आराजी स्थित है। उक्त आराजी जरिये रिजीलडीड दिनांक 12.03.2004 से इन्तकाल खुलकर वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के खाते दर्ज हो चुकी है एवं माल ग्राम मेलखेडी तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 30 के खसरा नं0 100 की 0.15 हैक्टर, खसरा नं0 12 की 0.74 हैक्टर, खसरा नं0 13 की 0.02 हैक्टर, खसरा नं0 91 की 0.06 हैक्टर, खसरा नं0 92 की 0.05 हैक्टर, खसरा नं0 96 की 0.04 हैक्टर, खसरा नं0 97 की 0.44 हैक्टर कुल 7 किता की 1.50 हैक्टर अराजियात स्थित है। उक्त आराजी जरिये रिलीजडीड दिनांक 12.03.2004 से इन्तकाल खुलकर वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के सम्पूर्ण खाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिए थी, जो दर्ज नहीं हुई है। उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में से अन्य सहखातेदारान द्वारा उनका हिस्सा आज से करीब 16 वर्ष पूर्व दिनांक 12.03.2004 को जरिये पंजीकृत रिलीजडीड से वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के हक में रिलीज कर दिया है और उक्त आराजी में निहित अन्य सहखातेदार का हिस्सा अपनी स्वेच्छा से छोड दिया है जिस पर रिलीजडीड दिनांक 12.03.2004 के पूर्व से ही वादीगण व प्रतिवादी कम 1 व 2 मौके पर शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी वादीगण व प्रतिवादी कम 1 व 2 उक्त सम्पूर्ण आराजियात को बहैसियत काश्तकार काबिज काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। उक्त वर्णित आराजियात व माल ग्राम लालाहेडा में स्थित अन्य आराजियात वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 व अन्य पारिवारिक सदस्य/सहखातेदार चन्द्रकांती, ज्याना, तीजू, भीमराज, लटूर, सुशीला के संयुक्त खाते में रही है, जिसमे आपसी सहमति से वादगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने अन्य पारिवारिक सदस्यों/सहखातेदार चन्द्रकांती, ज्याना, तीजू, भीमराज, लटूर, सुशीला से आपसी सहमति से पारिवारिक सेटलमैन्ट कर लिया गया जिसके अनुसार माल ग्राम लालाहेडा में स्थित अन्य आराजियात में से वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने अन्य पारिवारिक सदस्यों/सहखातेदार चन्द्रकांती, ज्याना, तीजू, भीमराज, लटूर, सुशीला के हक में रिलीजडीड करवाकर अपना हक उनके हक में छोड दिया, इसी प्रकार अन्य सदस्यों द्वारा उक्त वर्णित माल ग्राम लालाहेडा व माल मेलखेडी में स्थित आराजियात को वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के हक में जरिये रिलीजडीड दिनांक 1204.2004 को पंजीयन करवा दी है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात के रिलीजडीड के आधार पर वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 खातेदार कृषक हो गये और वक्त रिलीज में मौके पर शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा माल ग्राम लालाहेडा की आराजियात का रिलीजडीड के आधार पर वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2

की आराजी में रिलीजडीड के आधार पर वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 हक में आज तक इन्तकाल नहीं खुला है। जिसे वादीगण के हक में इन्तकाल खोला जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादीगण द्वारा पटवारी हलका महोदय से दुबारा आज से करीब एक माह पूर्व रिलीजडीड दिनांक 12.03.2004 के आधार पर माल ग्राम मेलखेडी की आराजी में वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के हक में इन्तकाल खोलने की कहने पर उन्होंने न्यायालय से घोषणा करवाने की बात कही, साथ ही वादीगण को उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी में होने से अपने हिस्से विशेष की आराजी का विकास कार्य करवाने में भी परेशानी आ रही है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा पटवारी हलका महोदय से इन्तकाल खुलवाने के साथ साथ मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन करवाने की कहने पर पटवारी हलका द्वारा उसके लिए भी साफ इन्कार कर दिया है। मौके पर वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से हिस्से में प्राप्त होने वाली आराजी अनुसार बंटवारा कर लिया है और मौके पर अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर वादी नं0 1 ता 5 का 1/4 हिस्सा व वादी नं 6 ता 8 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 व 2 प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। जिसके अनुसार आराजी का विभाजल करवाना चाहते है। साथ ही अन्य पारिवारिक सदस्यों/सहखातेदार चन्द्रकांती, ज्याना, तीजू, भीमराज, लट्टूर, सुशीला के हक में माल ग्राम मेलखेडी की आराजी में से हिस्सा रिलीज कर देने से उनका वादग्रस्त आराजी जो माल ग्राम मेलखेडी में स्थित है, में से डिलीट किया जाने की घोषणा करवाते हुए उपरोक्तानुसार 1/4–1/4 हिस्से का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार घोषणा करवाकर विभाजन करवाना आवश्यक होने से उक्त वाद प्रस्तुत किया है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 की ओर से वकील श्री धर्मराज नायक ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादपत्र को स्वीकार किया गया। तद्उपरान्त राजीनामा प्रस्तुत करके मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने में सभी पक्षकारान ने अपनी सहमति व्यक्त की। प्रकरण में इकबाली जवाब दावा एवं राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात कायम किया जाना आवश्यक नहीं है। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में रिलीजडीड दिनांक 12.03.2004 व नकल जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किये। वादी अधिवक्ता द्वारा एकतरफा बहस की गई जिसमें उन्होने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजीनामे के अनुसार वाद को स्वीकार करने की प्रार्थना की।

बहस वकील वादी सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने पर उक्त वाद को स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम मेलखेडी तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 30 के खसरा नं0 100, 12, 13, 91, 92, 96, 97 कुल 7 किता की 1.50 हैक्टर अराजीयात में से रिलीज डीड दिनांक 12.03.2004 से अन्य सहखातेदारान द्वारा वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के हक में उनका हिस्सा रिलीज करने से अन्य सहखातेदारान चन्द्रकांती, ज्याना, तीजू, भीमराज, लटूर, सुशीला का नाम डिलीट किया जाने की घोषणा की जाती है एवं माल ग्राम मेलखेडी की आराजी की घोषणा के बाद माल ग्राम लालाहेडा तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 57 के खसरा नं0 221, 222, 223, 231, 237, 272, 377 कुल किता 7 कि कुल 1.95 हैक्टर एवं माल ग्राम मेलखेडी तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 30 के खसरा नं 100, 12, 13, 91, 92, 96, 97 कुल 7 किता की 1.50 हैक्टर आराजियात का वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 द्वारा अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली आराजी का आपसी सहमति से बंटवारा कर लेने से वादी नं0 1 ता 5 का 1/4 हिस्सा व वादी नं0 6 ता 8 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 व 2 प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा का मौके पर कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए घोषणा की जाती है तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में मौके पर कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सांगोद को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है तथा 200 रू. कमीश्नर फीस मुकर्रर की जाती है। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद